फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

1. श्री भीमा पिता उदा गाडरी आयु 83 वर्ष निवासी खेडी ग्राम पंचायत बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्री लहरीलाल पिता जयराम गाडरी आयु 30 वर्ष निवासी खेडी ग्राम पंचायत बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. श्री वेणीराम पिता जयराम गाडरी आयु 28 वर्ष निवासी खेडी ग्राम पंचायत बिजनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता हुक्मीचन्द गाडरी आयु 35 वर्ष निवासी खजुरो की खेडी पटवार सर्कल बिजनोल हॉल मुकाम लालबाग नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा
2. श्री गणेशलाल पिता भंवरलाल गाडरी आयु 34 वर्ष निवासी खजुरो की खेडी पटवार सर्कल बिजनोल तहसील नाथद्वारा

— अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र स्थगन **पत्रावली संख्या 10/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 25.07.2019 वकु0 पक्ष0 उप0। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी संख्या 01 ने फर्जी पट्टे एवं बक्षीश के आधार पर राजस्व ग्राम खेडी के आराजी नं0 1416/555 में बने हुए मकान को विपक्षी संख्या 02 को विक्रय कर दिया है। जिससे विपक्षी संख्या 02 उक्त मकान पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा विक्रय करने के आमादा है। मूल रिवीजन के निस्तारण तक पट्टा संख्या 7582 दिनांक 21.12.2010 मे वर्णित पडोसो के बीच स्थित मकान विपक्षी संख्या 02 किसी अन्य को विक्रय और हस्तान्तरण नहीं करें। प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे रूकावट नहीं करें। प्रकरण दर्ज कर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री फतहलाल बोहरा ने उपस्थित होकर मूल पंचायत रिवीजन मे जवाब पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र में जवाब पेश नहीं करना जाहिर किया। इसलिए जवाबदेही बन्द कर बहस सूनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त पट्टा ग्राम पंचायत ने निगराकार की खातेदारी भूमि आ0नं0 1416/555 मे जारी कर दिया है। जिसे उक्त निगरानी के जरिये चुनौति दी गयी है। पट्टा प्रथम दृष्टया ही ग्राम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर जारी किया है। उक्त पट्टे के संबंध में तहसीलदार, नाथद्वारा के आदेश पर पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें उक्त पडोसो का मकान आराजी नं0 1416/555 में स्थित होना बताया है जो निगराकार की खातेदारी भूमि है। विपक्षी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उक्त पट्टे की भूमि आराजी नं0 556 किस्म आबादी है तथा पट्टे के संबंध में सिविल जज नाथद्वारा मे मुकदमा चल रहा है। इसलिए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त पट्टे मे वर्णित पडोस के मकान के संबध में तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी है। मौका रिपोर्ट मे उक्त मकान आराजी नं0 1416/555 रकबा 03 बिश्वा किस्म	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

मकान होकर निगराकार के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। ऐसी स्थिति में निगरानी मे कानूनी बिन्दु निहित होने से वादग्रस्त सम्पति को अन्तरण करने से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन को स्वीकार किया जाकर निगरानी के अंतिम निस्तारण तक विपक्षी को वादग्रस्त मकान को अन्तरण करने से पाबन्द किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)